RAEBARELI POLICE

दिनाँक 03 अगस्त 2021 थाना डीह

हत्या की घटना का अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

संक्षिप्त विवरण-

पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी सलोन के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत आज दिनांक 03 अगस्त 2021 को थाना डीह पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-291/2021 धारा-302 भादवि व धारा-3(2)(5) एससी एसटी एक्ट से संबंधित वाँछित अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ जीसू पुत्र राम नरेश सिंह उर्फ बब्बन निवासी कचनावां थाना डीह जनपद रायबरेली को थाना क्षेत्र के इमली तिराहे के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है जिसकी निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 अदद गमछा (आलाकत्ल) को घटना स्थल के पास झाडियों से बरामद कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण/घटना का तरीका-

घटना के संबध मे गिरफ्तारशुदा अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ जीशू उपरोक्त ने गहनता से पूछताछ करने पर बताया कि मेरे गांव के रामाधीन के दामाद अन्जनी के रूपये चोरी हो गये थे। रामाधीन(उम्र करीब 70 वर्ष) ने मेरे चचेरे भाई रिंकू के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हुए मेरे चचेरे भाई रिंकू के घर उलाहना देकर मेरी बडी माँ से कहा कि तुम्हारे बेटे रिंकू ने चोरी की है। जबकि रिंकू चोरी करने से इंकार कर रहा था। मेरी बडी माँ (जो कि पहले से ही बीमार रहती थी) को इस बात की जानकारी होने पर सदमे से उनकी तबियत और भी बिगड गयी तथा अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरी बडी माँ मुझे बहुत मानती थीं तथा परिवार के इस दुःख को देखकर मैं आवेश में आ गया तथा मैंने सोचा कि इनकी मृत्यु का प्रमुख कारण रामाधीन है जिसने चोरी का झूठा आरोप लगाया था। अतः अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा और रामाधीन को मार डालूँगा। फिर दिनांक 28 जुलाई 2021 की देर शाम को मै बिना किसी को बताये घर से निकला और रामाधीन के घर की तरफ गया तो देखा कि रामाधीन अपने घर के बाहर खाना खा रहा था। मुझे यह पता था कि रामाधीन रोज की तरह खाना खाने के बाद अपने ट्यूबेल पर सोने जायेगा। इसलिए मै रास्ते मे पतावर मे छिपकर बैठ गया और रामाधीन के आने का इंतजार करने लगा कुछ देर के बाद रामाधीन आता हुआ दिखायी दिया। जब वह नजदीक आया तो हमने अचानक पीछे से उसका गला पकडकर गिरा दिया तथा उसी के गमछे से उसका गला कसकर उसकी हत्या कर दी और मौके से भाग गया। उसके गमछे को मैने नाले के किनारे झाडियो मे छिपा कर रख दिया था। भावनाओं के आवेश में आकर बदला लेने की नीयत से ही मैने योजना बनाकर उसकी हत्या की थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ जीसू पुत्र राम नरेश सिंह उर्फ बब्बन निवासी कचनांवा थाना डीह जनपद रायबरेली।

बरामदगी-

01 अदद गमछा (घटना मे प्रयुक्त)।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री पवन प्रताप सिंह थाना डीह रायबरेली ।
2. उप-निरीक्षक श्री संतोष कुमार थाना डीह रायबरेली ।
3. आरक्षी श्री करन चौरसिया थाना डीह रायबरेली ।
4. आरक्षी श्री सुमित शर्मा थाना डीह रायबरेली ।
5. आरक्षी श्री राजेश शिल्पकार थाना डीह रायबरेली ।
6. आरक्षी श्री नटवर सिंह थाना डीह रायबरेली ।

मीडिया सेल रायबरेली